विविध बैंक प्रकरण संख्या 131/2019 (RCMS 2019/00233) ए.यू. स्मॉल फाइनेंस बैंक लि.(पूर्व में ए यू फाइनेन्सेरस (इंडिया) लि.) रजिस्टर्ड ऑफिस 19 ए धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 तथा ऑफिस जी 18, बापूजी मार्ग आइ ओ सी पैट्रोल पम्प के पीछे, सहकार मार्ग, जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी महिपाल सिंह बनाम 1. अनिल कुमार सोनी पुत्र वेदप्रकाश निवासी 44, 8 पीएसडी बी, 2 आरकेएम ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर अन्य पता शॉप नं. 8, शोपिंग सेन्टर रावला, बस स्टेण्ड के पास तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर 2. पॉयल पत्नी अनिल कुमार निवासी 44, 8 पीएसडी बी, 2 आरकेएम ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर 3. मैना देवी पत्नी वेद प्रकाश निवासी 44, 8 पीएसडी बी, 2 आरकेएम ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर 4. लालचन्द पुत्र रामरख निवासी 42, वार्ड नं 15, गांव रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री बनवार लाल कड़ेला उपस्थित थे। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में दिनांक 20.01.2020 को सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता द्वारा भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर, 2015, पंजीकरण प्रमाण पत्र आवास फाईनेशियर्स लिमिटेड जिसका पूर्व में नाम एयू. हाउसिंग फाईनेसं लि. था, को राष्ट्रीय आवास बैंक से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं एयू हाउसिंग फाईनेसं लि. से आवास फाईनेशियर्स लिमिटेड में नाम परिवर्तन होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रतियां दिनांक 25.06.2018 को पेश की है।

प्रार्थी बैंक के प्रतिनिधि का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गतं दिनांक 27.06.2019 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण अनिल कुमार सोनी, पायल, मैना देवी एवं लालचन्द को ऋण सुविधा के रूप में 14.00 लाख रूपये(अखरे रूपये चौदह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 31.03.2016 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अनिल कुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति शॉप नं. 8, शॉपिंग सैंटर रावला, बस स्टेण्ड के पास, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 16.66 वर्गगज) में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.07.18 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 03.12.2018 को 15,90,666/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.12.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणियों अनिल कुमार सोनी, पायल, मैना देवी एवं लालचन्द द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अनिल कुमार सोनी की उक्त अचल सम्पति शॉप नं. 8, शॉपिंग सेन्टर रावला, बस स्टैण्ड के पास, घड़साना (क्षेत्रफल 16.66 वर्गगज) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी कम्पनी के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक द्वारा पूर्व प्रकरण संख्या 85/2019 विधिवत् पेश न होने के कारण दिनांक 28.08.2019 को अस्वीकार किया गया था। जिसकी प्रति के साथ बैंक ने यह प्रकरण नये सिरे से पेश किया है। पूर्व में प्रकरण संख्या 85/2019 निर्णय 28.08.2019 इस कारण खारिज किया गया था कि बैंक ने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत शपथ में धारा 13(2) के नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या अभ्यावेदन पेश हुआ है या नहीं, ? इसका कोई उल्लेख नहीं करने के कारण खारिज किया गया और नियमानुसार नये सिरे से पुनः धारा 14 के तहत पुनः कार्यवाही कर प्रकरण पेश करने के आदेश दिये गये थे। इसलिए उक्त आदेश के तहत प्रार्थी बैंक को नये सिरे से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के पुनः नोटिस जारी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कर उनकी विधिवत् तामिल व उनके नोटिस पर आपत्तिया व अभ्यावेदन प्राप्त होने व न होने अंकन कर पेश करना चाहिए था। जबकि उनके द्वारा धारा 13(2) के पुनः नोटिस जारी कर विधिवत् तामील करवाई जाना प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी बैंक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2019 अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता है प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई **जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर